PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 02

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1225/2025		
राज्य	**बनाम**	मोहित निषाद आदि

नाम साक्षीः अनुभव सिंह पुत्र अरुण सिंह	अपराध संख्या-52/2025
उम्रः लगभग 14 वर्ष, पेशाः छात्र	धारा- 109(1), 140(1), 117(2), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-9/25 आयुध अधिनियम
वर्तमान पता साक्षीः ग्राम कोठरा मकरंदपुर, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर।	थाना-सजेती, कानपुर नगर।

दिनांकः-04.04.2026

मैं **साक्षीः अनुभव सिंह पुत्र अरुण सिंह, उम्रः लगभग 14 वर्ष, पेशाः छात्र, वर्तमान पता साक्षीः ग्राम कोठरा मकरंदपुर, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. मैं पढ़ाई करता हूँ। इस साल मैंने हाईस्कूल की परीक्षा दी है। मेरे पिताजी खेती करते हैं और गाँव में देशी शराब ठेका के बगल में पान-मसाला की दुकान किए हैं। उस दुकान में पापा के न रहने पर कभी-कभार मैं भी रहता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई अभिषेक है जो बाहर नौकरी करता है।

2. घटना दिनांक 06.02.2025 की रात लगभग साढ़े नौ बजे की है। उस समय मैं अपनी पान-मसाला की दुकान पर बैठा था। मेरे पिताजी खेतों में पानी लगाने चले गए थे कि तभी मेरे गाँव के मोहित निषाद, मुकेश निषाद, पिंटू यादव व लोकेन्द्र यादव मेरी दुकान पर आए और मुझसे शराब पीने के लिए तीन हजार रुपयों की माँग करने लगे। मैंने उक्त लोगों को पैसा देने से मना किया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उक्त लोग मुझे गाली देने लगे और गाली देते हुए दुकान के भीतर घुस आए और पिंटू यादव ने मेरे मुँह में तमंचा घुसेड़ दिया। मुकेश लोहे की राड से और मोहित व लोकेन्द्र हाकी से मुझे मारने लगे। उक्त लोग मारते हुए मुझे दुकान के बाहर घसीटते हुए लाए और दुकान के

बाहर उक्त सभी लोगों ने मुझे बुरी तरह पीटा जिससे मेरे सिर, पैर, माथे व शरीर में कई गंभीर चोटें आईं। मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। उक्त लोग मुझे घसीटते हुए तालाब किनारे ले गए और तालाब किनारे मुझे छोड़कर चले गए। मैं बुरी तरह से घायल था इसलिए मैं चल-फिर नहीं पा रहा था। लगभग बीस-पच्चीस मिनट बाद मेरे चाचा अजयवीर सिंह व घर-परिवार के लोग आ गए। मेरे घर के लोग व चाचा अजयवीर मुझे थाना सजेती ले गए और वहाँ से मुझे पुलिसवालों ने इलाज के लिए घाटमपुर अस्पताल भेज दिया। घाटमपुर अस्पताल से मुझे उर्सला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया। उर्सला अस्पताल में ही मेरा इलाज हुआ था।

3. इस घटना की रिपोर्ट मेरे चाचा अजयवीर सिंह ने लिखवाई थी।

4. घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी।

प्रतिपरीक्षा द्वारा मो० इरशाद अली (एड०) वास्ते अभियुक्त मोहित निषाद

स्थगन प्रार्थना-पत्र 500/- रुपये हर्जे पर इस निर्देश के साथ स्वीकृत कि इसके पश्चात अवसर नहीं दिया जायेगा।

प्रतिपरीक्षा द्वारा रवीन्द्र सिंह नरवरिया (एड०) वास्ते अभियुक्त पिंटू यादव व मुकेश निषाद

स्थगन प्रार्थना-पत्र 500/- रुपये हर्जे पर इस निर्देश के साथ स्वीकृत कि इसके पश्चात अवसर नहीं दिया जायेगा।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT